



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 1, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 277 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता लीलावती पत्नी नरसिंह नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अविनाश चौरसिया पुत्र लालचन्द नि0 बूढाडीह खुर्द थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त बाबूलाल निषाद पुत्र लल्लन नि0 शीतलापुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 पाउच देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 214/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त लालबचन पुत्र रामजतन नि0 शीतलापुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 पाउच देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विन्देश पासवान पुत्र मोतीलाल नि0 बैदा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त भोला उर्फ राजेश मदेशिया पुत्र गया प्रसाद क कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त हीरानन्द गुप्ता पुत्र राधेश्याम नि0 अमरुतिया टोला केवटहिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 पाउच देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रामकेश नि0 हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 65/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामअवध नि धोतियहवां थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण प्राप्त कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/22 धारा 60(1) ड व 60(2) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज पुत्र जगदीश नि0 बैरिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. शैलेश भारती पुत्र जगदीश नि0 बड़वार थाना पनियरा जनपद महाराजगंज 2. भीम यादव पुत्र रामउग्रह नि0 नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर 3. अरविन्द पुत्र मुनरिका नि0 सेवरहा खुर्द टोला चरिघरवां थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज पर मु0अ0सं0 215/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द निवारण अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. रविन्द्र यादव उर्फ लक्कड़ पुत्र राजदेव 2. शत्रुघ्न साहनी पुत्र जोगेन्द्र नि0 मजार बिन्दवलिया नौका टोला थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना घुघली पर मु0अ0सं0 145/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. संजीव पुत्र ललित नि0 गौरा निपनिया 2. बेचू पुत्र राजकुमार नि0 रमपुरवां थाना कोठीभार के विरुद्ध थाना श्यामदेउरवां पर मु0अ0सं0 127/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. विनोद विश्वकर्मा पुत्र किशुन उर्फ कपिल देव 2. दुर्गेश पुत्र स्व हरिराम नि0 बहरामपुर शिव टोला थाना पनियरा के विरुद्ध थाना पनियरा पर मु0अ0सं0 94/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. रोहित यादव पुत्र नन्दलाल नि0 बचगंगपुर थाना बृजमनगंज 2. अनमोल सिंह पुत्र अजय नि0 1503 रानापार सिरसपुर नई दिल्ली के विरुद्ध थाना बृजमनगंज पर मु0अ0सं0 95/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.अरशद पुत्र मुस्तफा 2.आकाश पुत्र अरुण साहनी नि0 कोल्हुई बाजार थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना कोल्हुई पर मु0अ0सं0 78/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अनमोल मौर्या पुत्र रामशंकर नि0 बरगदवां 2. दिनेश रौनियार पुत्र विश्वनाथ नि0 बरगदवां थाना बरगदवां के विरुद्ध थाना बरगदवां पर मु0अ0सं0 52/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अभियुक्त परवेज 2. शमशुल हक उर्फ छोटाने 3.फिरोज उर्फ झिनक 4. खुशिहाल उर्फ अतहर 5. इरफान उर्फ लंगड़ पुत्र मुर्तजा नि0 गण वार्ड नं0 13 बिस्मिलनगर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना सोनौली पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. रामभवन पुत्र रामदरश नि0 ईटहिया 2. सोनू पुत्र नरेश नि0 ईटहिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- सद्दाम अली पुत्र जमालुद्दीन नि0 पिपरिया 2.मुन्ना गुप्ता पुत्र रामअवध नि0 चटिया 3.सेरई पुत्र बैजनाथ नि0 धरमौली 4. गोली उर्फ दिलीप उर्फ परमात्मा चौधरी नि0 चेतन थाना रामनगर नि0 ठूठीबारी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-25 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 31/05-01/06.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 48 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।